

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 836 / 14
 संस्थापन दिनांक:-12 / 11 / 14
 फाईलिंग नं. 233504004012014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

सुनील पिता शिवजी बचले
 उम्र 32 वर्ष, निवासी नांदपुर
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 09.08.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 23.10.2014 को सुबह 10:00 बजे थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी के घर के सामने ग्राम नांदपुर सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी कलाबाई बचले को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी कलाबाई को हाथ पैर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2014 को सुबह करीब 10 बजे फरियादी उसके घर के सामने साफ सफाई कर रही तभी प्रमिला ने कहा कि उसने उसके घर की पोताई कर ली है इधर धूल क्यों उड़ा रही है जिस पर फरियादी ने कहा कि वह उसके घर की साफ सफाई कर रही है। तभी इतने में अभियुक्त सुनील आया और उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और उसे गिरा दिया तथा हाथ और लात से मारपीट किया जिससे उसे दाहिने हाथ की कलाई पर, बांये तरफ छाती पर चोट आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 879/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी कलाबाई बचले को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी कलाबाई को हाथ पैर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 कलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त सुनील ने मादरचोद की गाली देकर कहा था कि तूने रिपोर्ट क्यों की है। कमलाबाई (अ.सा.-2) ने प्रकट किया है कि घटना दिनांक को कलाबाई एवं अभियुक्त सुनील के बीच में गाली गलौच हो रही थी। कैलाश (अ. सा.-3) ने भी उक्त साक्षियों का समर्थन करते हुए प्रकट किया है कि अभियुक्त सुनील ने कलाबाई को मादरचोद की गाली दी थी जो सुनने में बुरी लगी थी।

6 कलाबाई (अ.सा.-1) एवं कैलाश (अ.सा.-3) ने अभियुक्त द्वारा मादरचोद की गाली देना व्यक्त किया है। उक्त शब्द ग्रामीण परिवेश में भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का

अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 कलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अपराध के संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव में अभियुक्त पर लगे धारा 506 भाग-दो भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

8 कलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह घटना दिनांक को सुबह करीब 10 बजे अपने घर की देहरी गोबर से लीप रही थी, तभी अभियुक्त सुनील और उसकी लड़की हेमलता ने पूर्व में की गयी रिपोर्ट के संबंध में उसे मारा। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसे कोटवार ने छुड़वाया था। इसके बाद उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में की गयी जो कि प्रदर्श प्री-1 है।

9 कमलाबाई (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि घटना सुबह के समय की है। घटना के समय वह मंजन कर रही थी। कलाबाई एवं अभियुक्त सुनील एक-दूसरे को गाली गलौच कर रहे थे तब उसने कहा कि झगड़ा मत करो। कैलाश (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना सुबह की है। उसका घर कलाबाई के घर के सामने है। इसी साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने यह देखा था कि अभियुक्त सुनील और कलाबाई लड़ रहे थे। अभियुक्त सुनील ने एक थप्पड़ कलाबाई को हाथ में मारा जिससे उसके हाथ में खरोज आयी थी। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसके द्वारा दोनों को समझाईश दी गयी थी।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने दिनांक 23.10.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत कलाबाई का परीक्षण किये जाने पर उसके शरीर में कोई प्रत्यक्ष दर्शी चोट नहीं पायी थी, केवल आहत के द्वारा उसकी छाती एवं शरीर में दर्द की शिकायत बताया गया था। उक्त साक्षी ने अपने द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-4) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है।

11 रहमतसिंह (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 23.10.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी कलाबाई द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराये जाने पर अपराध क. 879/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) लेख किया जाना प्रकट करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। मंगलमूर्ति (अ.सा.-6) ने दिनांक 25.10.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क.

879/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दौराने विवेचना नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया जाना एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये जाना तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-5) तैयार किया जाना प्रकट किया है। साथ ही उक्त साक्षी ने उपर्युक्त प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

12 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि स्वतंत्र साक्षी कमलाबाई एवं कैलाश ने अभियोजन कथा का पूर्ण समर्थन नहीं किया है और उक्त साक्षी अपने कथनों में स्थिर भी नहीं है इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता तथा एकमात्र साक्षी कलाबाई के कथनों के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि धारा 134 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधानित है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल (2003) 1 एस. सी.सी. 465 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह से विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्धी स्थिर की जा सकती है। अतः उक्त तर्क एवं न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में साक्षी कलाबाई (अ.सा.-1) की साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना आवश्यक है।

14 कलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में पूर्व में की गयी रिपोर्ट पर से अभियुक्त सुनील एवं उसकी लड़की हेमलता के द्वारा मारपीट करना बताया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) में आंगन की साफ-सफाई के समय पड़ोसी प्रमिला के द्वारा धूल उड़ाने की बात कहा जाना और इतने में ही अभियुक्त सुनील के द्वारा आकर फरियादी को गाली गलौच कर लात और हाथ से मारपीट करना लेख है।

15 कमलाबाई (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय कलाबाई एवं अभियुक्त सुनील एक दूसरे को गाली दे रहे थे तो उसने कहा था कि झगड़ा मत करो। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा कलाबाई को मारपीट किये जाने के तथ्य पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया है परंतु प्रति परीक्षण के पैरा क. 3 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसने अभियुक्त एवं कलाबाई को समझाया था कि झगड़ा मत करो। कैलाश (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि अभियुक्त सुनील ने कलाबाई को एक थप्पड़ हाथ में मारा था जिससे उसके हाथ में खरोच आयी थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में यह बताया है कि उसने पुलिस को अभियुक्त द्वारा कलाबाई के हाथ को

पकड़ने वाली बात बतायी थी, थप्पड़ मारने वाली बात नहीं बतायी थी। इस प्रकार साक्षी कमलाबाई एवं कैलाश के कथनों से इस तथ्य का समर्थन तो होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त एवं फरियादी कलाबाई के बीच में विवाद हो रहा था।

16 कलाबाई (अ.सा.-1) यह बताया है कि घटना के समय वह अपनी देहरी में गोबर से लीप रही थी और उसी समय अभियुक्त सुनील और उसकी लड़की हेमलता ने उसके साथ मारपीट की थी। इसी साक्षी ने यह भी बताया है कि बीच बचाव कोटवार ने किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बीच बचाव कैलाश एवं कमलाबाई के द्वारा किया जाना लेख है। कैलाश (अ.सा.-3) के गवाही शीट पर उसके व्यवसाय के कॉलम में कोटवार लेख है। स्पष्टतः कलाबाई (अ.सा.-1) का कोटवार द्वारा बीच बचाव किये जाने का आशय साक्षी कैलाश से ही है। साक्षी कैलाश ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया गया है कि उसके द्वारा अभियुक्त एवं कलाबाई को समझाईश दी गयी थी।

17 कलाबाई (अ.सा.-1) के चिकित्सकीय परीक्षण में उसके शरीर पर कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट नहीं पायी गयी है। अभियोजन कथा के अनुसार भी साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दाहिनी हाथ की कलाई और छाती में अभियुक्त द्वारा हाथ और लात से मारने के कारण दर्द होना बताया है। चिकित्सकीय प्रतिवेदन में भी आहत की छाती और शरीर में दर्द होना पाया गया। घटना दिनांक 23.10.2014 की सुबह 10 बजे की है। घटना स्थल से थाने की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। उक्त दिनांक को ही फरियादी कलाबाई के द्वारा करीब 12:45 बजे घटना की रिपोर्ट कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में फरियादी के द्वारा मिथ्या कहानी गढ़ना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

18 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आहत के शरीर पर कोई भी प्रत्यक्ष दर्शी चोट नहीं है। अतः धारा 323 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि आहत के शरीर पर कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट नहीं है परंतु अभियोजन कथा अनुसार ही आहत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराते समय ही अपने शरीर एवं छाती में दर्द होना बताया था। उक्त साक्षी के कथन आंशिक रूप से कमलाबाई (अ.सा.-2) एवं कैलाश (अ.सा.-3) के द्वारा समर्थित है। कलाबाई के द्वारा बिना विलंब के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गयी है। रंजिश का कोई भी तथ्य दोनों पक्षों के बीच में बचाव पक्ष स्थापित नहीं कर पाया है। कलाबाई (अ.सा.-1) के कथन घटना से करीब 6-7 माह बाद हुए हैं। फरियादी 65 वर्ष की वृद्ध महिला है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के न्यायालयीन कथनों में अभियोजन कथा से कुछ भिन्नता आना स्वाभाविक है परंतु उक्त साक्षी अभियुक्त सुनील के द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर है। घटना का दिन, समय व स्थान पर उक्त साक्षी के कथनों में कोई विसंगति नहीं है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में भी कोई ऐसे तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं जिससे कि उक्त साक्षी पर अविश्वास किया जाये। जहां तक आहत के शरीर पर

कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट न पाये जाने का प्रश्न है उस स्थिति में धारा 323 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आहत के शरीर पर कोई प्रत्यक्षदर्शी चोट पायी जाये। आहत यदि शारीरिक पीड़ा में रहा है तो यह उक्त अपराध के प्रमाणित होने के लिए पर्याप्त है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित होता है।

19 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी कलाबाई (अ.सा.-1) के साथ हाथ एवं लात से मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

20 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कलाबाई बचले को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कलाबाई को हाथ पैर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

21 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

22 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए

0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

23 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

24 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी है एवं घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

25 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत कलाबाई पति अन्दू बचले, निवासी नांदपुर, थाना आमला को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

26 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

